इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर 2014—अग्रहायण 5, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2014

सूचना

क्र. एफ-16-2-2014-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से 7 दिन का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारुप

उक्त नियमों में, नियम 3, में,—

(1) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) (क) जिला पंचायत के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) का पद उन जिला पंचायतों में अवरोही क्रम में आरक्षित रखा जाएगा जिनमें, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में अधिक हो:

परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) का पद धारा 129-ङ के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा:

परन्तु यह और कि यथास्थिति, उन जिला पंचायतों या जनपद पंचायतों को, जिनमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या इन प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, यथास्थिति, ऐसी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या इन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग की महिलाओं के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के पदों के आरक्षण के लिए लाट निकालने से अपवर्जित कर दिया जाएगा;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिये लाट द्वारा चक्रानुक्रम में पद आरक्षित रखे जाएंगे;

(ग) जिला पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों के लिए सामान्य स्थानों के साथ-साथ प्रत्येक प्रवर्ग में आरक्षित रखे जाने वाले स्थानों में, स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थान, महिलाओं के लिए चक्रानुक्रम में लाट निकालकर आरक्षित किए जाएंगे.";

(2) उप नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(6) पश्चात्वर्ती सामान्य निर्वाचन में, पूर्व में आरक्षित जिला पंचायतें, उस विशिष्ट प्रवर्ग के लिए लाट निकालने से अपवर्जित कर दी जाएंगी.".

NOTICE

No. F-16-2-2014-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat (Up-Sarpanch, President and Vice-President) Nirvachan Niyam, 1995, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with section 32 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 7 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 3,—

(1) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:—

"(3) (a) The seats of Charperson of Jila Panchayat shall be reserved in the descending order in those Jila Panchayats in which the percentage of Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribe, as the case may be, is higher in the proportion of their total population:

Provided that the Scheduled Areas, the office of Chairperson for Scheduled Tribes shall be reserved in accordance with the provisions of Section 129-E:

Provided further that the Zila Panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be, where there is no reservation of seats for Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes as the case may be, or of women belonging to any of these categories, shall be excluded from drawing of lots for the reservation of Office of Chairperson for such Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or of women belonging to any of these categories as the case may be.

(b) The seats shall be reserved for other Backward Classes by rotation by drawing of lots;

(c) The seats are to be reserved in Jila Panchayat for Categories of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and in each category along with general seat, half of the total number of seats shall be reserved by rotation for women by drawing of lots.";

(2) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(6) In subsequent general election, the Zila Panchayats previously reserved shall be excluded from drawing lots, for that particular categories.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.